# विहंगावलोकन

वर्ष 2014-15 के दौरान रक्षा सेवाओं का कुल व्यय ₹2,37,394 करोड़ था। इसमें से भारतीय वायुसेना (आई ए एफ) ने ₹55,481 करोड़ खर्च किए जो रक्षा सेवाओं पर कुल व्यय का 23 प्रतिशत था। आई ए एफ के व्यय का अधिकांश भाग पूँजीगत प्रकृति का था, जो उनके कुल व्यय का लगभग 59 प्रतिशत था।

इस प्रतिवेदन में आई ए एफ, सैन्य अभियांत्रिक सेवाएं, हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के लेनदेन तथा रक्षा मत्रांलय के संबंधित अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत प्रमुख निष्कर्ष समाविष्ट हैं। लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के उपरांत ₹11.20 करोड़ की राशि वसूल की गई। प्रतिवेदन में समाविष्ट निष्कर्षों के मुख्य अंश निम्न प्रकार से हैं:

## I वायुसेना मुख्यालय संचार स्क्वाड्रन (ए एच सी एस) की लेखापरीक्षा

वर्तमान वी आई पी फ्लीट का प्रयोग कम था तथा 1998 के सी एण्ड ए जी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में जाँचा गया इसका कम प्रयोग, और कम हो गया था। सार्थक उड़ान प्रयास पायलटों के प्रशिक्षण में लगे थे यद्यपि एम्ब्रेअर वायुयान तथा एम आई-8 हेलिकॉप्टर के लिए प्रशिक्षण वायुसेना आदेशों में विहित प्रशिक्षण से कम था।

वाणिज्यिक वायु सेवाओं से जुड़े मार्गों पर ओ ई पी द्वारा वी आई पी फ्लीट के मात्र अपरिहार्य स्थिति में प्रयोग की पुष्टि हेतु नियंत्रण तंत्र कार्य नहीं कर रहे थे। ₹32.25 करोड़ के राशिगत अवरोधन शुल्कों को उठाया/वसूला नहीं गया था।

वरिष्ठ सेवा अधिकारियों के लिए वी आई पी उड़ानों के प्राधिकरण के लिए कार्यप्रणाली का अनुपालन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, एक्शन टेकन नोट में एम ओ डी द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद, विमान-वहन के प्रयोक्ताओं से क्षतिपूर्ति अनुबंधपत्र तथा ड्यूटी उड़ान प्रमाणपत्रों को प्राप्त नहीं किया जा रहा था।

***(अध्याय - II)***

## II सी-17 ग्लोबमास्टर III वायुयान का अधिग्रहण एवं परिचालन

आई ए एफ ने विदेशी सैन्य बिक्री (एफ एम एस) रूट के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार (यू एस जी) से यू एस डी 4,116 मिलियन (₹18645.85 करोड़) की कुल लागत पर दस सी-17 ग्लोबमास्टर III वायुयान तथा सहायक उपकरण अधिप्राप्त किए (जून 2011)। विशिष्ट अवसंरचना को पूरा करने में विलम्ब हुआ था तथा पायलटों एवं लोडमास्टरों के प्रशिक्षण हेतु अपेक्षित सिम्युलेटरों के स्थापन में भी विलम्ब हुआ था। सी-17 वायुयान की परिचालनात्मक क्षमताएँ आंशिक रूप से उपयुक्त पेवमेंट क्लासीफिकेशन नम्बर (पी सी एन) सहित रनवे की अनुपलब्धता तथा वायुसेना के विभिन्न बेसेज़ पर ज़मीनी उपकरण के अभाव के कारण निम्न प्रयोज्य थी।

***(पैराग्राफ 3.1)***

## III 14 अतिरिक्त डॉर्नियर वायुयान की अधिप्राप्ति

भारतीय वायुसेना (आई ए एफ) ने डॉर्नियर वायुयान की आवश्यकता के आंकलन के लिए संभावित प्रयोज्यता दर से कम पर किया जो ₹891 करोड़ लागत के 14 अतिरिक्त वायुयान की अधिप्राप्ति में फलीभूत हुआ।

***(पैराग्राफ 3.2)***

## IV 'एक्स' सिस्टम का नवीनीकरण

आई ए एफ के समय पर अनुबंध निर्धारित करने में असफल रहने पर ओ ई एम द्वारा दर संशोधन के परिणामस्वरूप ₹19.31 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। अप्रैल 2009 में 104 'एक्स' सिस्टम की कुल तकनीकी जीवनावधि (टी टी एल) समाप्त हो गई, किन्तु छः वर्षों से अधिक बीत जाने तथा ₹101.52 करोड़ का व्यय करने के उपरांत भी, 'एक्स' सिस्टम की क्षमता संदेहास्पद थी।

***(पैराग्राफ 3.3)***

## V हैंगर्स के अधिक प्रावधान के परिणामस्वरूप ₹24.28 करोड़ का परिहार्य व्यय

आवश्यकता की असंगत प्रक्षिप्ति के परिणामस्वरूप हैंगर्स का अधिक प्रावधान ₹24.28 करोड़ की परिहार्य लागत पर हुआ।

***(पैराग्राफ 4.1)***

## VI निविदा प्रारूपित करने में अनियमितताओं के परिणामस्वरूप अधिक भुगतान

संविदा में मध्यम हल्के हेलिकॉप्टर (एम एल एच) के अधिष्ठापन हेतु अवसंरचना के निर्माण हेतु अनियमित मूल्य समायोजन खण्ड का अंतर्निवेश ₹4.27 करोड़ के अतिरिक्त भुगतान में फलीभूत हुआ, क्योंकि अनुबंधकर्ता सतत् रूप से सीमेंट का अधिक प्रयोग करता पाया गया था।

***(पैराग्राफ 4.2)***

## VII एक सभाभवन में 200 सीटों की क्षमता का अधिक प्रावधान

ग्वालियर में वायुसेना स्टेशन, महाराजपुर के लिए मार्च 2013 में संस्वीकृत सभाभवन में आवास के मानदण्ड-रक्षा सेवाएं 2009 से विचलन के कारण 200 सीटों की क्षमता का अधिक प्रावधान किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप संस्वीकृति में ₹1.29 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान हुआ।

***(पैराग्राफ 4.3)***

## VIII ₹1.10 करोड़ की लागत पर स्थायी परिसम्पत्तियों का परिहार्य सृजन

वायुसेना स्टेशन (ए एफ एस) तंजावुर ने असाधारण परिस्थितियों के लिए अभिप्रेत प्रावधानों के प्रयोग द्वारा अस्थायी कर्मीदल रहित वायु वाहन (यू ए वी) स्क्वाड्रन के आवास हेतु जो ए एफ एस में मात्र दो माह के लिए संचालित रही, स्थायी अवसंरचना सृजित की।

***(पैराग्राफ 4.4)***

## IX एक्सेस कंट्रोल सिस्टमों का अप्रभावकारी प्रयोग

₹13.65 करोड़ में 100 ए एफ इकाईयों के लिए अधिप्राप्त एक्सेस कंट्रोल सिस्टम (ए सी एस) में कमियाँ थीं। इसके अतिरिक्त, इसकी प्रयोज्यता की वृद्धि हेतु अतिरिक्त ₹7.38 करोड़ में पूरक सुविधाओं की अधिप्राप्ति के बावजूद, ए सी एस की प्रयोज्यता अप्रभावकारी थी।

***(पैराग्राफ 5.1)***

## X परिवहन भत्ते का अनियमित भुगतान

यद्यपि ए एफ अधिकारी/वायु सैनिक पूरे कलैण्डर माह के लिए अपने नियमित ड्यूटी के स्थान से अनुपस्थित थे, फिर भी उन्हें परिवहन भत्ते का भुगतान किया गया, जो रक्षा मंत्रालय तथा वायुसेना मुख्यालय के आदेशों के विरूद्ध था।

***(पैराग्राफ 5.2)***

## XI विद्युत कर के भुगतान के कारण ₹131.45 लाख का परिहार्य व्यय

भारत के संविधान के अनुच्छेद 287 के तहत विद्युत कर की छूट का प्रावधान उपलब्ध होने के बावजूद, वायुसेना स्टेशन, नई दिल्ली ने अप्रैल 2009 से दिसंबर 2014 के दौरान नई दिल्ली नगर निगम को विद्युत कर के रूप में ₹131.45 लाख का भुगतान किया।

***(पैराग्राफ 5.3)***

## XII एयरो-इंजन की मरम्मत पर ₹80.07 लाख का परिहार्य व्यय

अप्राधिकृत वाहनान्तरण के विरूद्ध अनुबंधात्मक प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में भारतीय वायुसेना (आई ए एफ) की निष्फलता के कारण मार्ग में क्षतिग्रस्त एयरो इंजन की मरम्मत पर परिहार्य भुगतान हुआ।

***(पैराग्राफ 5.4)***